बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 57/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर

(ख) अंकेक्षणाधीन का लेखा वर्ष – 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कोषागार निदेशालय, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि के नियंत्री पदा0

के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल – जिला कोषागार पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ।

1. श्री विपिन कुमार भा0 प्र0 से0
   18.03.2008 से 6.10.09
2. श्री आनन्द किशोर भा0 प्र0 से0
   6.10.09 से 13.02.11

(ड़) अंकेक्षणाधीन अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल – कोषागार पदाधिकारी

1. श्री रवीन्द्र कुमार
1.4.2009 से 11.7.2011

लेखा पाल – 1. श्री महेश झा
1.4.2009 से 31.5.2011

रोकड़ पाल – 1. श्री उमेश कुमार सिन्हा
1.4.2009 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम –

1. श्री श्यामाकान्त मेहरा
   सहायक कोषागार पदाधिकारी
2. श्री आनन्द कुमार पान्डे , सहायक

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – श्री रमण कुमार वरीय अंकेक्षण–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 19.04.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 02.09.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 30 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(1) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य

(2) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि– 3286/वि0 अं0 दि0 15.09.60

(3) कार्यालय का कार्यक्षेत्र –मुजफ्फरपुर जिला के बिहार सरकार के सभी कार्यालय

(4) वित्तीय श्रोत – आवंटन

(5) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

(क) शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया :– वेतन, यात्रा भत्ता, आकस्मिकता एवं अन्य मद में कोषागार से निकासी एंव जमा की गई राशि

(ख) स्टाम्प मद में जमा राशि का उपलब्ध कराये गये बैंक स्क्रौल से आंशिक सत्यापन किया गया।

(6) महालेखा के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :–

अनुपालन प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 –36/07–08 का पत्रांक 2320 दिनांक 22.9.08 के द्वारा , इसके पश्चात् अंकेक्षण नही किया गया है।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :–

एक लम्बी अवधि से वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा अंकेक्षण नही किया गया है फलस्वरूप अंकेक्षण अनुपालन से सम्बन्धित संचिका नही पाई गई।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– क्या आंवटन से अधिक निकासी की गई है – नही (आवंटन –व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर दिया गया है।)

(2) अनुदान प्राप्त नही हुआ है।

(3) अनुदान प्राप्त नही होने के स्थिति में उपयोगिता का प्रश्न नही हैं।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

अंकेक्षण के अनुरोध के बाद भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन नही किया गया।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– दिनांक 19.04.2011

निम्न प्रकार पाया गया – 15482.45

(क) नगद राशि	– 11751.00 रू0
(ख) बैंक खाता में कुल राशि	– 3731.45 रू0
(ग) बैंक खाता में सूद की राशि	– शून्य
(घ) अग्रिम की राशि	– शून्य
(ङ) असमायोजित अभिश्रव	– शून्य
(च) अन्य (बैंक ड्राफ्ट, बैकर्स चेक आदि)	– शून्य

कुल योग रू0 – 15482.45

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रिक्त बल की संख्या 19 है जिसके कमी से कोषागार के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त बल को भरने का सुझाव दिया जाता है तथा की गई कारवाई की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

(5) वसूली योग्य राशि :–

रू0 60.00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि श्री आनन्द प्रकाश कूजूर सहायक को माह नवम्बर 2008 के लेखा अभिलेख को महालेखाकार पटना के कार्यालय में पहूँचाने हेतु इनके द्वारा रू0 120/= का अभिश्रव प्रस्तुत किया गया लेकिन कार्यालय द्वारा विपत्र सं0 35/09–10 के अभिश्रव संख्या 24 के द्वारा उक्त रू0 120/– के अभिश्रव को रू0 180.00 का पारित किया गया एवं श्री कूजूर को रू0 180.00 का भुगतान दिनांक 24.09.2009 को किया गया। इस प्रकार रू0 60.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल कर विहित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

(6) कुल रू0 7000.00 सेवा डाक टिकट पर व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) रू0 3000.00 सेवा डाक टिकट पर व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 19/09–10 के द्वारा निकासी की गई राशि से अभिश्रव संख्या 1/25.7.09 द्वारा रू0 3000.00 के डाक टिकट का क्रय दिनांक 25.7.2009 को रू0 10X200=2000.00, 5X100= 500 तथा रू0 1X500= 500 के रूप में क्रय किया गया एवं उसे श्री आनन्द प्रकाश कूजूर, लिपिक को हस्तगत कराया गया। अंकेक्षण में उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख डाक टिकट भंडार पंजी, वितरण पंजी, पत्र निर्गत पंजी आदि प्रस्तुत नही किया गया फलस्वरूप सेवा डाक टिकट व्यय की जाँच नही किया जा सका।

(ख) रू0 4000.00 सेवा डाक टिकट पर व्यय , आपत्ति अन्तर्गत :–

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विपत्र संख्या –48/09–10 के द्वारा निकासी की गई राशि रू0 4000.00 से अभिश्रव सं0 1/13.11.09 के द्वारा रू0 4000.00 के सेवा डाक टिकट का क्रय दिनांक 13.11.2009 को रू0 10X250, रू0 5X200 तथा रू0 1X500 कुल रू0 4000.00 का सेवा डाक टिकट श्री अवधेश कुमार चौधरी लिपिक को हस्तगत कराया गया। अंकेक्षण में उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख – डाक टिकट भंडार पंजी, वितरण पंजी, पत्र निर्गत पंजी आदि प्रस्तुत नही किया गया, फलस्वरूप उक्त राशि से सम्बन्धित डाक टिकट के व्यय की जाँच नही की जा सकी। अतः रू0 4000.00 +रू0 3000.00 = कुल रू0 7000.00 डाक टिकट पर व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये जाने के फलस्वरूप उक्त व्यय की जाँच नही किया जा सका। अतः विभागीय स्तर से उक्त व्यय के सम्बन्ध में छानबीन कर लिया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया तक उक्त व्यय राशि रू0 7000.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

भाग– 3

(7) अंकेक्षण के दृष्टान्त पर जमा रू0 12714.95

रोकड़ पुस्त के जाँच में पाया गया कि रू0 12714.95 पूर्व में विभिन्न तिथियों को आकस्मिकता मद में व्यय हेतु निकासी की गई राशि में धीरे–धीरे अवशेष के रूप में रू0 12714.95 संवरण शेष में रह गया जिसके व्यय की सम्भावना भी नही थी। फलस्वरूप उक्त अवशेष राशि अनावश्यक रूप से संवरण में बनी हुई थी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में रू0 12714.95 विहित शीर्ष में कोषागार में जमा किया गया जिसका सत्यापन किया गया।

(8)(क) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लेखा के निरीक्षण का अभाव

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 305 (अ) के अनुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कम से कम माह में एक बार लेखा परीक्षा करनी चाहिए जो नही किया पाया गया जबकि नियंत्री पदाधिकारी समाहर्त्ता एवं जिलापदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा मार्च 2010 में रोकड़ पुस्त का निरीक्षण किया पाया गया। भविष्य में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लेखा के नियमित निरीक्षण का सुझाव दिया जाता है।

(ख) योग के दोहरी जाँच (क्रास चेकिंग) का अभाव :–

1. विपत्र सं0 17/09–10 के सभी अभिश्रवों का योग रू0 23021.00 होता है लेकिन आकस्मिकता पंजी में उक्त योग रू0 23071.00 दर्ज किया पाया गया एवं रोकड़ पुस्त में राशि रू0 23021.00 दिनांक 9.7.09 को पाया गया ।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2
(2)

" NISHU"

परिशिष्ट "क" (कंडिका –1"ट" से सम्बन्धित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची 09–10

(क) प्रस्तुत अभिलेख वर्ष 09–10

1. विपत्र पंजी
2. रोकड़ पंजी
3. वेतन भुगतान पंजी/यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
4. आकस्मिकता पंजी
5. आकस्मिक अभिश्रवों की रक्षी संचिका
6. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ
7. जेनरेटर लॉग बुक
8. स्टाम्प डबल लॉक रजिस्टर
9. स्टाम्प वितरण पंजी
10. सेवा पुस्त
11. बैंक स्कौल पंजी

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख वर्ष 09–10

1. आवंटन पंजी
2. सेवाडाक टिकट भंडार एंव वितरण पंजी
3. भंडार पंजी
4. बैंक स्क्रौल पंजी

परिशिष्ट “ख” (कंडिका “3(1)” से सम्बन्धित)
जिला कोषागार कार्यालय
आवंटन व्यय विवरणी 2009–10

क्र0	इकाई	कुल आवंटन	कुल व्यय	अधिक व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति
1	वेतन जीवनयापन भत्ता	4800000.00	4439748.00	0	360250.00	प्रत्यार्पण की सूचना अप्राप्त
2	कार्यालय व्यय	210000.00	209989.00	0	11.00	तदैव
3	यात्रा भत्ता	30000.00	29176.00	0	824.00	तदैव
4	सामग्री आपूर्त्ति	20000.00	20000.00	0	0.00	तदैव
5	दूरभाष	16000.00	2846.00	0	13154.00	तदैव
6	विधुत	120000.00	120000.00	0	0.00	तदैव
7	वर्दी	4000.00	00.00	0	4000.00	तदैव
8	जेनरेटर हेतु ईधन	8000.00	1530.00	0	6470.00	तदैव
9	अनुरक्षण	6000.00	6000.00	0	0	तदैव
		5214000.00	4829289.00	0	384711.00	

परिशिष्ट "ग" (कंडिका "4" से सम्बन्धित)
जिला कोषागार कार्यालय मुजफ्फरपुर।
वर्ष 2009–10
पदबल की विवरणी

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अधिक बल
लिपिक	30	16	14	शून्य
डाटा इंट्री ऑपरेटर	05	02	03	शून्य
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	04	02	02	शून्य
	39	20	19	शून्य